

कार्यालय जिलाधिकारी, देहरादून।

संख्या- 170/12ए-248(2014-17)/डी0एल0आर0सी0

दिनांक 13 अप्रैल, 2017

विषय- जनपद-देहरादून में लखस्यार लुधेरा क्यारी कचटा हल्का वाहन मोटर मार्ग निर्माण हेतु निर्माण में आने वाली 1.4175 है0 वन भूमि के एवज में दोगुनी 2.8340 है0 सिविल सोयग भूमि क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के नाम हस्तान्तरण / नामान्तरण किये जाने के सम्बन्ध में।

उप जिलाधिकारी, कालसी
जनपद-देहरादून।

उपरोक्त उल्लिखित प्रकरण पर आपके पत्रांक-529/र0का0-2016 दिनांक 14 अक्टूबर, 2016 के द्वारा जनपद-देहरादून में लखस्यार लुधेरा क्यारी कचटा हल्का वाहन मोटर मार्ग निर्माण हेतु निर्माण में आने 1.4175 है0 वन भूमि के एवज में ग्राम-क्यारी, परगना-जौनसार बावर, तहसील-कालसी, जनपद-देहरादून के खाता खतौनी संख्या 107 के खसरा नं0 809/1.834 है0, 750/1.000 कुल रकबा 2.834 है0, अंतर्गत श्रेणी 5(3)ड0-अन्य कृष योग्य बंजर भूमि को प्रस्तावित किया गया है।

अतः आपके पत्र संख्या-529/र0का0-2016 दिनांक 14 अक्टूबर, 2016 के संदर्भ में शासनादेश संख्या-2173/XVIII(II)/2012-18(120)/2010, राजस्व अनुभाग-2, देहरादून दिनांक 17, दिसम्बर, 2012 में वर्णित प्राविधानों के अंतर्गत ग्राम-क्यारी, परगना-जौनसार बावर, तहसील-कालसी, जनपद-देहरादून के खाता खतौनी संख्या 107, के खसरा नं0 809/1.834 है0, 750/1.000 कुल रकबा 2.834 है0, अंतर्गत श्रेणी 5(3)ड0-अन्य कृषि योग्य बंजर को क्षतिपूर्क वृक्षारोपण हेतु वन विभाग, उत्तराखण्ड शासन के नाम हस्तान्तरित/आवंटित किया जाता है। उक्त भूमि को राजस्व अभिलेखों में वन विभाग, उत्तराखण्ड शासन के नाम दर्ज करते हुये, कृत कार्यवाही से अवगत कराना सुनिश्चित करें।

(रविनाथ रमन)
जिलाधिकारी
देहरादून

प्रतिलिपि

कालसी

1. प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून को सूचनार्थ।

2. जिलाधिकारी अभियन्ता आ0ख0, लोक निर्माण विभाग, राहिया को उनके पत्र संख्या- 10629/6सी0, दिनांक 23 जून, 2016 के क्रम में सूचनार्थ।



जिलाधिकारी
देहरादून

AED

10629/6सी0
20/9/17

24/4/17